

## परिशिष्ट-1.1

(प्रस्तर 1.7 में सन्दर्भित)

अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा प्रस्तरों के विवरणों को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	31 मार्च 2015 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	सम्मिलित कुल राशि	वर्ष जबसे प्रस्तर अनिस्तारित है	31 मार्च 2015 की समाप्ति पर 5 वर्षों से अधिक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	31 मार्च 2015 की समाप्ति पर 5 वर्षों से अधिक अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवास एवं शहरी नियोजन	100	823	34210.71	2008-09	39	277
2	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	4	8.08	2013-14	0	0
3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग	104	239	260.10	2008-09	47	112
4	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स	0	0	0.00	--	0	0
5	वन	671	2191	2672.71	2007-08	320	963
6	ऊर्जा	22	62	3922.01	2008-09	3	4
7	सहकारिता	32	69	1885.73	2007-08	6	8
8	गन्ना विकास	60	160	3532.55	2008-09	17	48
9	पर्यटन	15	59	532.34	2007-08	4	12
10	पर्यावरण	7	28	1149.29	2008-09	2	9
11	खादी एवं ग्रामोद्योग	11	52	3544.41	2008-09	4	24
12	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	24	68	212.25	2008-09	9	25
13	दुग्धशाला विकास	108	371	815.71	2008-09	30	89
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7	56	232.40	2008-09	2	11
15	नागरिक उड्डयन	2	4	38.48	2013-14	0	0
16	मद्य निषेध	7	9	13.25	2008-09	1	1
17	राजस्व (कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त)	19	40	364.93	2007-08	9	18
18	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/ गैर-परम्परागत ऊर्जा	5	41	73.93	2008-09	2	19
	<b>योग</b>	<b>1195</b>	<b>4276</b>	<b>53468.58</b>		<b>495</b>	<b>1620</b>


परिशिष्ट-1.2

(प्रस्तर 1.11 में सन्दर्भित)

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	स्वायत्त निकायों का नाम	वर्ष जब तक एसएआर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया	वर्ष जिसकी एसएआर विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया गया		एसएआर के न रखे जाने का कारण
			एसएआर के वर्ष	शासन को निर्गत करने की तिथि	
1	2	3	4	5	6
1	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ	2009-10	2011-12 2012-13	03 अगस्त 2015 30 जुलाई 2015	कारण उपलब्ध नहीं कराये गये
2	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	स्थापना के बाद से (2003-04) कोई भी पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा में नहीं रखा गया।	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	19 अक्टूबर 2006 05 अक्टूबर 2007 05 अक्टूबर 2007 03 अक्टूबर 2008 17 अगस्त 2009 15 अगस्त 2010 26 मई 2011 08 जून 2012 24 सितम्बर 2014 20 फरवरी 2015 22 जून 2015	कारण उपलब्ध नहीं कराये गये

परिशिष्ट- 2.1  
संगठनात्मक चार्ट  
(प्रस्तर 2.1.2. में संदर्भित)



## पदाधिकारियों के कर्तव्यों का चार्टर

- 1. उपाध्यक्ष -** प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पास प्राधिकरण के समस्त कार्यकलापों, इसके स्टाफ, निधि एवं व्यय के समग्र पर्यवेक्षण, अधीक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियां होंगी।
- 2. प्राधिकरण का सचिव -** शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगा एवं शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन, प्राधिकरण के अभिलेखों एवं कार्यवाहियों का रख-रखाव सुनिश्चित करेगा। (उपाध्यक्ष के अधीन)
- 3. वित्त नियंत्रक -** प्राधिकरण के लेखा विभाग के स्टाफ एवं कोषागार पर उचित एवं पर्याप्त नियंत्रण रखेगा। (उपाध्यक्ष के अधीन)
- 4. मुख्य नगर नियोजक -** के पास मास्टर प्लान एवं जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करना एवं मानचित्र अनुमोदन में मास्टर प्लान की शर्तों का अनुपालन कराने की शक्ति होंगी। (उपाध्यक्ष के अधीन)
- 5. मुख्य अभियन्ता -** के पास प्राधिकरण की नई एवं आगामी योजनाओं में निर्माण एवं विकास कार्य निष्पादन कराने की शक्ति होगी। (उपाध्यक्ष के अधीन)
- 6. तहसीलदार -** योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये भूमि अर्जन से सम्बन्धित मामले देखता है। (सचिव के अधीन)

## परिशिष्ट-2.2

(प्रस्तर 2.1.6.2 में सन्दर्भित)

वास्तविक एवं बजटीय आय/ व्यय को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्ष	बजटीय आय/ व्यय	वास्तविक आय/ व्यय	विचलन	विचलन प्रतिशत में
<b>आय</b>					
1	2011-12	1497.8	933.81	563.99	-37.65
2	2012-13	1261	500.12	760.88	-60.34
3	2013-14	1396	516.43	879.57	-63.01
<b>व्यय</b>					
4	2011-12	1323.14	660.99	662.15	-50.04
5	2012-13	1204.58	452.96	751.62	-62.4
6	2013-14	1137.00	382.53	754.47	-66.36

## परिशिष्ट-2.3

(प्रस्तर 2.1.7.2 में सन्दर्भित 2.1.7.2)

## लेखापरीक्षा अवधि में निरस्त हुए भूमि अर्जन प्रस्ताव की विवरणी

क्रम संख्या	प्रस्ताव का नाम	अर्जन का उद्देश्य (शासन के निक्षेप कार्य अथवा स्वयं की योजना हेतु)	क्षेत्र हेक्टेयर में	वि.भू.अ.अ. को प्रेषित धनराशि (₹ लाख में)	निरस्तीकरण के कारण
1	2	3	4	5	6
1	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी -1	पार्किंग के लिए शासन का प्रस्ताव	6.952	4,045.34	अर्जन प्रस्ताव का भू-स्वामियों ने माननीय न्यायालय में चुनौती दी जिसे अपर महाधिवक्ता से परामर्श के बाद इसे गैर अधिसूचित कर दिया गया। जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.7.3 (i) में की गयी है।
2	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी -2	पार्किंग के लिए शासन का प्रस्ताव	22.237	12,034.68	
3	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी -3	पार्किंग के लिए शासन का प्रस्ताव	22.986	11,804.42	
4	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी-1 ए	पार्किंग के लिए शासन का प्रस्ताव	1.924	604.85	
5	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी-1 ब	पार्किंग के लिए शासन का प्रस्ताव	0.074	10.50	
6	मुख्यमंत्री के लिए हेलिपैड, दिलकुशा, गणेशगंज	मुख्यमंत्री हेलिपैड के लिए शासन का प्रस्ताव	0.446	33.66	
योग -अ			54.619	28,533.45	
7	ऐशबाग टावर	समूह आवास योजना	0.587	213.00	भूमि का बड़ा हिस्सा (6.343 हे.) नजूल भूमि का था जिसे शासन से प्राप्त नहीं किया जा सका। जिसके चलते अवशेष भूमि के अर्जन प्रस्ताव को निरस्त करना पड़ा। जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.1.7.3 (ii) में की गयी है।
8	एनक्सी-2 के सामने पार्किंग एवं विस्तार	पार्किंग के लिए ल.वि. प्रा. का प्रस्ताव	1.529	0	भू स्वामित्व विवाद
9	मुहल्ला हजरतगंज में पार्किंग के प्रवेश/निकासी के लिए भू-अर्जन	पार्किंग के लिए ल.वि. प्रा. का प्रस्ताव	0.006	4.03	भू स्वामित्व विवाद
योग ब			2.122	217.03	
कुल योग (अ + ब)			56.741	28,750.48	

## परिशिष्ट-2.4

{प्रस्तर 2.1.7.3 (i) में सन्दर्भित}

विशेष भू-अर्जन अधिकारी (वि.भू.अ.अ.) द्वारा शासन के भू-अर्जन प्रस्तावों में से अर्जन शुल्क की कटौती को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल का नाम	वि.भू.अ.अ. के पास जमा धनराशि	जमा अर्जन शुल्क	गैर-अधिसूचित / निरस्तीकरण के समय प्रस्ताव का स्तर	वि.भू.अ.अ. द्वारा पुष्टि की गयी कटौती का प्रतिशत	वि.भू.अ.अ. द्वारा पुष्टि की गयी कटौती की धनराशि
1	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी -1	4,045.34	399.87	अभिनिर्णय घोषित	100	399.87
2	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी -2	12,034.68	1,337.18	अभिनिर्णय घोषित	100	1,337.18
3	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी -3	11,804.42	1,311.60	अभिनिर्णय घोषित	100	1,311.60
4	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी -1ए	604.85	67.20	धारा-6	50	33.60
5	रमाबाई अम्बेडकर पार्किंग मैदान पी -1 ब	10.50	5.25	धारा-4	35	1.84
6	मुख्यमंत्री हेलिपैड , दिलकुशा, गणेशगंज	33.67	16.84	धारा-4 से पहले	25	4.21
	योग	28,533.46	3,137.94			3,088.30

परिशिष्ट-2.5  
(प्रस्तर 2.1.8.3 में सन्दर्भित)

तल क्षेत्रफल अनुपात (तक्षेअ) शुल्क की कम वसूली को दर्शाती हुई विवरणी

क्र0 सं0	विकासकर्ता का विवरण	क्षेत्र (वर्ग.मी.)	वसूली योग्य तक्षेअ शुल्क (₹करोड़ में)	तक्षेअ शुल्क की वास्तविक वसूली (₹करोड़ में)	अंतर (₹करोड़ में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	ड्रैगन ऐज रिअल्टर प्रा. लि. परमिट सं./दिनांक: 36462/ 7.6.2014	7161.72	0.97	0.39	0.58	<p>उपविधि-2008 के प्राविधानो (टिप्पणी के बिंदु सं.3.5.2.4) और शासनादेश (सितम्बर 2008) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तक्षेअ शुल्क की गणना जिलाधिकारी के सर्किल दर पर किया जायेगा ।</p> <p>हमने पाया की ड्रैगन ऐज रिअल्टर प्रा. लि. के मानचित्र को अनुमोदित (जून 2014) करते समय प्राधिकरण ने क्रय योग्य तक्षेअ के लिए भूमि की दर ₹ 3,000 प्रति वर्ग.मी लगायी जबकि पंजीकरण के दस्तावेज से यह प्रतीत हुआ की जि.अ. सर्किल दर ₹ 7,500 प्रति वर्ग.मी. थी। इस प्रकार, क्रय योग्य तक्षेअ शुल्क में गलत सर्किल दर लगाने की वजह से ₹ 58 लाख का नुकसान हुआ ।</p> <p>प्राधिकरण ने कहा की सम्बंधित अभियंता से अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है ।</p>
2	अमृत बॉटलर्स, परमिट सं./ दिनांक: 34949/25.05.2013	4000	0.48	0.30	0.18	<p>सितम्बर 2011 में संशोधित, भवन उपविधि-2008 के प्राविधानों के अनुसार व्यवसायिक भूखंडों में तक्षेअ की गणना में गुणांक 0.80 लगाया जायेगा। हमने पाया की अमृत बॉटलर्स के व्यवसायिक भूखंड के मानचित्र को अनुमोदित (मई 2013) करते समय प्राधिकरण ने गुणांक 0.80 की बजाय 0.50 का गुणांक लगाया जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को ₹ 18 लाख का नुकसान हुआ ।</p> <p>प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2015) की उपविधि 2008 में गुणांक 0.50 प्राविधानित था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मानचित्र की स्वीकृति मई 2013 में की गयी थी जब संशोधित उपविधि (सितम्बर 2011) के अनुसार गुणांक 0.80 लागू था ।</p>
1	2	3	4	5	6	7



3	ओमेक्स लिमिटेड परमिट सं./ दिनांक: 31458/ 07.07.2011	42,755.10	22.57	13.54	9.03	शासनादेश (14 नवम्बर 2008) द्वारा भवन उपविधि को संशोधित किया गया तथा प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा 19 फरवरी 2009 को इसे अंगीकृत किया गया। अतः सभी मानचित्रों को संशोधित प्रावधानों के तहत स्वीकृत किया जाना चाहिए था।  हमने पाया की प्राधिकरण ने ओमेक्स लि. के मानचित्र को अनुमोदित (जुलाई 2011) करते समय क्रय योग्य तक्षेअ शुल्क की गणना पुराने उपविधि-2000 के अनुसार किया न की नई उपविधि-2008 के अनुसार जिसकी वजह से ₹ 9.03 करोड़ की हानि हुई। प्राधिकरण ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (अक्टूबर 2015)।
4	प्रीत रिअल्टर परमिट सं./ दिनांक 31649/ 28.04.2011	5,980	2.02	0.96	1.06	भवन उपविधि -2008 के प्राविधानो (टिप्पणी के बिंदु सं. 3.5.2.4) और शासनादेश (सितम्बर 2008) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तक्षेअ शुल्क की गणना जिलाधिकारी सर्किल दर से किया जायेगा।  हमने पाया की प्राधिकरण ने क्रय योग्य तक्षेअ शुल्क की गणना करते समय प्राधिकरण का सेक्टर दर (₹ 8,000/- वर्ग.मी.) लगाया न की उपविधि में दी गयी व्यवस्था जि.अ. सर्किल दर (₹ 16,875/- वर्ग.मी.) जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को ₹ 1.06 करोड़ की हानि हुई।  प्राधिकरण ने बताया की जहाँ पर योजना नगर निगम को हस्तांतरित नहीं हुई है वहाँ पर प्राधिकरण का सेक्टर दर लिया जाता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है तथा भवन उपविधि के अनुसार तक्षेअ शुल्क जि.अ. सर्किल दर से लगना था।
योग			26.04	15.19	10.85	

परिशिष्ट-2.6

(प्रस्तर 2.1.8.3 में सन्दर्भित)

नगर विकास प्रभार (न.वि.प्र.) को वसूल न किये जाने को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	विकासकर्ता का विवरण	क्षेत्र (वर्ग.मी.)	वसूली योग्य न.वि.प्र. (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	एस.ऐ. एस होटल एण्ड प्रापर्टी परमिट सं./ दिनांक: 35941/ 31.12.2009	11009.09	0.97	प्राधिकरण ने एस.ऐ. एस होटल एण्ड प्रापर्टी का समूह आवास मानचित्र (भूखंड सं. 3, 4 एण्ड 10, जापलिंग रोड, लखनऊ क्षेत्रफल 11,009.09 वर्ग.मी.) अनुमोदित (दिसम्बर 2009) किया लेकिन अतिरिक्त तक्षेअ (4,885.15 वर्ग.मी.) के ऊपर न.वि.प्र. ₹ 96.73 लाख (4,885.15 वर्ग.मी.* ₹ 13,200*15 प्रतिशत ) 15 प्रतिशत की दर से लगाने में विफल रहा जो कि उपविधि के उपवाक्य 3.5.1(VII) के अनुसार लगाना आवश्यक था।  प्राधिकरण ने उत्तर में बताया (जुलाई 2015) कि तक्षेअ में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं थी इसलिए इसमें न.वि.प्र. की देयता नहीं बनती। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल तक्षेअ 1.5 के विपरीत वास्तविक तक्षेअ (क्रय योग्य तक्षेअ सम्मिलित) 2.00 अनुमन्य किया गया है और इस अतिरिक्त तक्षेअ पर न.वि.प्र. की देयता बनती है।
2	ऐ.एस.प्रोजेक्ट परमिट सं./ दिनांक: 28241/ 04/2011	4470.81	0.44	प्राधिकरण ने ऐ.एस.प्रोजेक्ट (रहीम नगर,महानगर, मापन 4,470.81 वर्ग.मी.) के मानचित्र को स्वीकृत (अप्रैल 2011) किया लेकिन उपविधि के उपवाक्य 3.5.1 (VII) प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त तक्षेअ पर 15 प्रतिशत की दर से न.वि.प्र. ₹ 44.29 लाख के आरोपित करने में विफल रहा।  प्राधिकरण ने उत्तर में बताया (जुलाई 2015) कि तक्षेअ में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं थी इसलिए इसमें न.वि.प्र. की देयता नहीं बनती। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल तक्षेअ 1.5 के विपरीत वास्तविक तक्षेअ (क्रय योग्य तक्षेअ सम्मिलित) 2.00 अनुमन्य किया गया है और इस अतिरिक्त तक्षेअ पर न.वि.प्र.की देयता बनती है।
योग			1.41	

## परिशिष्ट-2.7

(प्रस्तर 2.1.8.3 में सन्दर्भित)

वाह्य विकास प्रभार (वा.वि.प्र.) को आरोपित न किये जाने को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम सं.	विकासकर्ता का विवरण	क्षेत्र (वर्ग.मी.)	वसूली योग्य विकास प्रभार (₹ करोड़ में)	वसूली गई सुदृढीकरण प्रभार (₹ करोड़ में)	अंतर (₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	एस.ऐ. एस होटल एण्ड प्रापर्टी परमिट सं./ दिनांक: 31647/ 23.08.2011	60115.98	6.67	0.37	6.30	प्राधिकरण के बोर्ड ने 139 वी बैठक दिनांक 26.09.2009 में महायोजना को निर्मित, विकसित, अविकसित एवं अपरिभाषित क्षेत्र में विभाजित करने की स्वीकृति प्रदान की तथा यह निर्णय किया कि 29.07.2011 से निर्मित क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में विकास प्रभार लिया जायेगा। इसके बावजूद भी प्राधिकरण ने अगस्त 2011 में समूह आवास के मानचित्र को स्वीकृत करते समय वा.वि.प्र. की धनराशि ₹ 6.67 करोड़ (₹ 1,110 प्रति मी. * 60,115.98 मीटर) की जगह सुदृढीकरण प्रभार लिया जिससे विकासकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।  प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2015) कि चूँकि यह क्षेत्र विकसित क्षेत्र में आता है इसलिए यह निर्णय लिया गया था की इसमें सुदृढीकरण प्रभार लिया जाय। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राधिकरण ने पहले ही दिनांक 29.07.2011 को निर्मित क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में विकास प्रभार लगाने का निर्णय ले लिया था।
2	वेलडन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. परमिट सं./ दिनांक: 36714/23.7.2014	10115.69	1.24	0	1.24	इस तथ्य के बावजूद भी की विकासकर्ता की निजी कृषि भूमि है जिसे प्राधिकरण के व्यवसायिक तलपट में बिना विकास प्रभार लगाये समायोजित किया गया है, प्राधिकरण जुलाई 2014 में विकासकर्ता के मानचित्र की स्वीकृति के समय वाह्य विकास प्रभार लगाने में विफल रहा जिसके कारण ₹ 1.24 करोड़ (₹ 10,115.69*1,225) की हानि हुई।  प्राधिकरण ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (अक्टूबर 2015)।
योग			7.91	0.37	7.54	

परिशिष्ट-2.8 (अ)

(प्रस्तर 2.1.8.3 में सन्दर्भित)

2009-10 एवं 2010-11 की दर में के.लो.नि.वि.के लागत सूचकांक के आधार पर वृद्धि को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	लागत सूचकांक	टिप्पणी
1	लागत सूचकांक - 1992	100	
2	लागत सूचकांक - 2007	260	
3	अतः 15 वर्षों में वृद्धि	160	
4	औसत वार्षिक वृद्धि	10.67	
5	अतः 2000 में लागत सूचकांक (10.67*8 वर्ष + लागत सूचकांक-1992)	185.36	
6	लागत सूचकांक - 2007	260	
7	इस प्रकार अनुपातिक सूचकांक मूल्य 2007 में 100 को वर्ष 2000 का आधार मानते हुए	139.78	(39.78 प्रतिशत की वृद्धि)
8	पुनरीक्षित लागत सूचकांक 2007 में	100	
9	लागत सूचकांक - जनवरी 2012	164	
10	लागत सूचकांक -2007 की तुलना में इकाई वृद्धि	64	(64 प्रतिशत की वृद्धि)
11	इस प्रकार सापेक्षिक सूचकांक मूल्य 2000 में वृद्धि ( आधार 100 मानते हुए ) वर्ष 2012 में	229.24	
12	लागत सूचकांक वर्ष 2000 में वृद्धि (229.24-100)	129.24	
13	12 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि	10.83	
14	2009 -10 में लागत सूचकांक (वर्ष 2000 से 9 वर्षों के बाद)	199	(99 प्रतिशत की वृद्धि )
15	2010-11 में लागत सूचकांक (वर्ष 2000 से 10 वर्षों के बाद)	210	(110 प्रतिशत की वृद्धि )

परिशिष्ट-2.8(ब)

(प्रस्तर 2.1.8.3 में सन्दर्भित )

दरों में संशोधन न होने के कारण हानि का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	शुल्क का प्रकार	2009-10 में प्रभार/शुल्क की वास्तविक वसूली	कम वसूली (99 प्रतिशत)	2010-11 में शुल्क की वास्तविक वसूली	कम वसूली (110 प्रतिशत)	कुल कम वसूली
1	अम्बार प्रभार	69.04	68.35	83.57	91.93	160.28
2	निरीक्षण शुल्क	379.19	375.4	239.59	263.55	638.95
	योग	448.23	443.75	323.16	355.48	799.23

## परिशिष्ट-2.9

(प्रस्तर 2.1.8.3 में सन्दर्भित)

आर्थिक रूप से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिये भवनों का प्राविधान न किये जाने को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	विकासकर्ता का नाम	भूखंड /खसरा सं./ पता	क्षेत्र (वर्ग.मी.)	टिप्पणी
1	एस.ऐ. एस होटल एण्ड प्रापर्टी	166-171, 180,181, 183 से 203, 205-206, शंकरपुरवा ,महानगर , लखनऊ	60115.78	<p>शासन ने अधिसूचित (जनवरी 2010) किया की सभी प्राधिकरण तथा निजी विकासकर्ता यह सुनिश्चित करे कि जहाँ भी आवासीय योजना 10 एकड़ से अधिक है वहाँ न्यूनतम 10 प्रतिशत आवास आर्थिक रूप से दुर्बल तथा 10 प्रतिशत अल्प आय वर्ग के लिए कुल इकाई में से बनाया जाय।</p> <p>हमने पाया की प्राधिकरण ने विकासकर्ता के 554 भवनों वाले 60,115.78 वर्ग मी. (14.85 एकड़) के मानचित्र को अनुमोदन (अगस्त 2011) के समय प्राविधानित 10 प्रतिशत आवास आर्थिक रूप से दुर्बल तथा 10 प्रतिशत अल्प आय वर्ग के लिए आवासों (110) का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया।</p> <p>प्राधिकरण ने बताया (जुलाई 2015) कि विकासकर्ता के मानचित्र का अनुमोदन सितम्बर 2011 के पूर्व किया गया था इसलिए संदर्भित शासनादेश लागू नहीं था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना (जनवरी 2010) मानचित्र अनुमोदन के समय लागू थी।</p>
2	ईडन प्रोजेक्ट प्राइवेट. लिमिटेड	4-सी, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ	38230.43	<p>शासन ने अधिसूचित (जनवरी 2010) किया की सभी प्राधिकरण तथा निजी विकासकर्ता यह सुनिश्चित करे की जहाँ भी आवासीय योजना 10 एकड़ से अधिक है वहाँ न्यूनतम 10 प्रतिशत आवास आर्थिक रूप से दुर्बल तथा 10 प्रतिशत अल्प आय वर्ग के लिए कुल इकाई में से बनाया जाय। पुनः शासन ने निर्धारित भू-आकार को घटा कर 3000 वर्ग मी. कर दिया (सितम्बर 2011)।</p> <p>हमने पाया की प्राधिकरण ने विकासकर्ता के 38,230 वर्ग मी.(9.45 एकड़) भू-खंड में 148 भवनों के निर्माण के लिए तलपट मानचित्र को स्वीकृत (सितम्बर 2012) करते समय 30 भवन आर्थिक रूप से दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के लिए प्राविधानित 10 प्रतिशत आवासों को सुनिश्चित करने में विफल रहा।</p>

परिशिष्ट-2.10

(प्रस्तर 2.1.8.4 में सन्दर्भित)

स्वीकृत मानचित्रों पर श्रम उपकर की वसूली न किये जाने को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	अवधि	स्वीकृत मानचित्रों की संख्या	स्वीकृत आच्छादित क्षेत्र (लाख वर्ग मी. में)	जिलाधिकारी की प्रचलित सर्किल निर्माण दर (₹ प्रति वर्ग मी.)	कुल निर्माण लागत (₹ करोड़ में)	निर्माण लागत के ऊपर 1 प्रतिशत श्रम उपकर (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6=4*5	7= 6*.01
1	01.09.2011 से 31.07.2012	1,480	8.03	6,875	552.06	5.52
2	01.08.2012 से 04.08.2013	1,438	8.25	7,625	629.06	6.29
3	05.08.2013 से 14.12.2014	1,833	19.54	9,250	1807.45	18.07
4	15.12.2014 से 31.03.2015	468	5.13	11,000	564.30	5.64
	योग	5,219	40.95		3,552.87	35.52

## परिशिष्ट-2.11

(प्रस्तर 2.1.9.1 में सन्दर्भित)

लेखापरीक्षा के लिए चुने गए समूह आवास योजनाओं को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अपार्टमेंट का नाम	ठेकेदार का नाम	अनुबंध की तिथि	कार्य के अनुबंध की धनराशि	कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की पुनरीक्षित तिथि	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	प्रारंभ में प्रस्तावित आवासों की संख्या/ वास्तविक निर्माण
1	रिवर व्यू फेज -II, गोमती नगर विस्तार	में. एल एण्ड टी. लिमिटेड	04.02.2010	475.08	18.02.2010	30.09.2015	01.10.2013*	1432/1928
2	सुलभ आवास, गोमती नगर विस्तार एवं जानकीपुरम विस्तार	में. सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	25.02.2010	252.41	07.03.2010	31.12.2014	27.06.2013*	4500/4272
3	ग्रीनवुड अपार्टमेंट, गोमती नगर विस्तार	में. एन.सी. सी. लिमिटेड	04.05.2010	124.66	20.05.2010	30.07.2014	31.08.2013*	566/736
4	सरगम अपार्टमेंट, जानकीपुरम	में. एल. एण्ड टी. लिमिटेड	18.10.2011	205.51	03.12.2011	31.03.2015	कार्य प्रगति मे	720/0
*लागत गणना के आधार पर आवासों की वास्तविक निर्माण तिथि								

परिशिष्ट-2.12

(प्रस्तर 2.1.9.1 में सन्दर्भित)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुपालन न करने से हुए परिहार्य व्यय को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	न्यूनतम बोलीदाता द्वारा दी गयी दर (₹ प्रति वर्ग मी. में)	द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता द्वारा दी गयी दर (₹ प्रति वर्ग मी. में)	दर में अंतर	कार्य की निष्पादित मात्रा (वर्ग मी. में)	धनराशि का अंतर (₹ में)
1	2	3	4	5=(4-3)	6	7=5*6
1	बेसमेंट दर	957	3340	2383	17361.9	41373408
2	सुपर एरिया दर	14246	15770	1524	92792	141415008
योग						182788416



**परिशिष्ट-2.13**  
(प्रस्तर 2.1.9.1में सन्दर्भित 2.1.9.1)  
**कोडल प्रावधानों के उल्लंघन को दर्शाती हुई विवरणी**

क्रम संख्या	कोडल प्रावधान	उल्लंघन	प्रबंधन के उत्तर
1	<b>ई-निविदा का अभाव</b> शासन ने वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड V भाग I में संशोधन करते हुए (अक्टूबर 2008) निविदा के कागजी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को समाहित किया जिसे ई-निविदा कहा गया।	प्राधिकरण ने ई-निविदा की व्यवस्था को नहीं अपनाया परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहीं हो सकी।	प्राधिकरण ने कहा ( जुलाई 2015 ) की निविदाओं को समाचार पत्रों में प्रकाशन के साथ साथ 8.11.2013 के बाद प्राधिकरण के वेबसाइट पर अपलोड भी किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड V, भाग-I का उल्लंघन है।
2	<b>तृतीय पक्ष निगरानी का अभाव</b> निर्माण एवं विकासकार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड ने अपनी 134 वीं बैठक (दिसम्बर 2008) में प्रतिष्ठित एजेंसी जैसे आरआईटीईएस/आईआईटीस/सीआरआरआई/सीबीआरआई से तृतीय पक्ष निगरानी की व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए।	प्राधिकरण, नमूना जाँच किए गए किसी भी कार्य में, तृतीय पक्ष निगरानी की व्यवस्था लाने में विफल रहा। फलस्वरूप सम्परीक्षित कार्यों की गुणवत्ता की स्वतंत्र जाँच नहीं हो पाई।	प्राधिकरण ने कहा (जुलाई 2015) की भवनों की संरचनात्मक अभिकल्प की अभिपुष्टि आईआईटी मुंबई ने की। पुनः तृतीय पक्ष निगरानी हेतु एजेंसी का चुनाव किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह व्यवस्था अभी तक विद्यमान नहीं है।
3	<b>ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम</b> प्राधिकरण ने अपने योजनाओं (रिवर व्यू फेज-II, ग्रीनवुड अपार्टमेंट, सुलभ आवास योजना एवं सरगम अपार्टमेंट) के कार्य लागत के 15 प्रतिशत तक ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम सम्बंधित ठेकेदारों को अनुमन्य किया परन्तु उनकी सामयिक वसूली करने में विफल रहा जैसा की केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के दिशा-निर्देशों (अप्रैल 2007) में व्यवस्था है।	प्राधिकरण पांच वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी मोबिलाइजेशन अग्रिम वसूल करने में विफल रहा फलस्वरूप चारों कार्यों में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।	प्राधिकरण ने कहा की (जुलाई 2015) निविदाताओं ने ब्याज रहित मोबिलाइजेशन अग्रिम को विचार में रख कर ही निविदा दर दिए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन अग्रिम की वसूली को समयबद्ध करने में विफल रहा जिसके कारण पांच वर्ष व्यतीत होने के बाद भी मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली लंबित है।
4	<b>विस्तृत आगणन तैयार न करना</b> मैनुअल 2004 में दिये गये प्रावधान, व्याहारिकता प्रतिवेदन एवं प्रारंभिक आगणन तैयार करने के बाद विस्तृत आगणन, उपयुक्त दर एवं मात्रा के साथ उनकी तकनीकी समिति द्वारा तकनीकी स्वीकृति की व्यवस्था को प्रावधानित करता है।	प्राधिकरण के लेखा परीक्षा में सम्परीक्षित चारों समूह आवास योजनाओं में प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए केवल प्रारंभिक आगणन के आधार पर जो कि तल क्षेत्र दर पर आधारित थी, निविदाएँ प्रदान कर दी गयीं।	उत्तर में, प्राधिकरण ने विस्तृत आगणन तैयार नहीं किये जाने पर कोई टिप्पणी किये बगैर यह बताया कि निविदा, निविदा समिति जिसमें अधिशासी अभियंता, मुख्य अभियंता, सचिव एवं वित्त नियंत्रक होते हैं, द्वारा स्वीकृत किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह कोडल प्रावधान का उल्लंघन है।

परिशिष्ट-2.14

(प्रस्तर 2.1.10.1 में सन्दर्भित)

हाई-टेक टाउनशिप परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	विकासकर्ता का नाम	स्वीकृत क्षेत्र (एकड़ में)	विकासकर्ता के साथ विकास अनुबंध निष्पादित करने की तिथि	अर्जित की गयी कुल भूमि (एकड़ में)	निवेश की धनराशि (₹करोड़ में)	विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार निर्मित होने वाले आवासों की संख्या			भवनों के निर्माण की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)			अवस्थापना की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)				सामुदायिक सुविधाओं के विकास की प्रगति			गांवों का विकास	
						ई.डब्ल्यू.एस.	एल.आई.जी.	अन्य इकाईयां	ई.डब्ल्यू.एस.	एल.आई.जी.	अन्य	सड़क	जल आपूर्ति	सीवरेज	जल निकासी	विद्युत	संख्या	वास्तविक प्रगति (प्रतिशत में)	गांवों की संख्या	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
1.	अंसल पी एण्ड आई लिमिटेड	3530.03	19.11.06 से 26.04.11	2521.52	1373	4504	4566	36300	2.18	1.93	7.22	60	43	61	53	51	482	5	22	36
2	गर्व बिल्ड टेक	2700	8.08.2011	550.93	प्रगति की कोई सूचना नहीं															
3	सहारा इंडिया कार्पोरेशन	1784	निष्पादित नहीं	---	प्रगति की कोई सूचना नहीं															
योग		8014.03		3072.45																

**परिशिष्ट-2.15**  
(प्रस्तर 2.1.10.2 में सन्दर्भित )  
**इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को दर्शाती हुई विवरणी**

क्र० सं०	विकासकर्ता का नाम	स्वीकृत क्षेत्र (एकड़ में)	विकास अनुबंध निष्पादित करने की तिथि	अर्जित की गयी कुल भूमि (एकड़ में)	निवेश की धनराशि (₹ करोड़ में)	विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार निर्मित होने वाले आवासों की संख्या			भवनों के निर्माण की भौतिक प्रगति 31.03.2015 तक (प्रतिशत में)			अवस्थापना सुविधाओं की भौतिक प्रगति 31.03.2015 तक (प्रतिशत में)					सामुदायिक सुविधाओं के विकास की प्रगति 31.03.2015 तक		गांवों का विकास		लक्ष्य के विरुद्ध अन्य इकाई की प्रगति
						ई.डब्ल्यू.एस.	एल.आई.जी.	अन्य इकाईयां	ई.डब्ल्यू.एस.	एल.आई.जी.	अन्य	सड़क	जल आपूर्ति	सीवरेज	जल निकासी	विद्युत	संख्या	वास्तिक प्रगति (प्रतिशत में)	गांवों की संख्या	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	
1	एल्डेको सिटी प्रा.लि.	133.07	5.02.2010	112.61	201.8	243	243	2187	53	26	34	70	55	55	75	50	14	1	0	0	34.11
2	विराज कान्स. प्रा. लि.	317.91	22.10.2011	282.12	145.45	1032	1032	10320	0	0	0	35	28	10	13	12	44	0	0	0	0
3	एम्मार एम. जी.एफ.	226.37	24.12.2011	181	224	393	393	3930	0	0	0	37	25	45	20	35	25	0	0	0	0
4	ओमेक्स प्रा. लि.	121.76	28.02.2013	88.1	62	702	702	7020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	शिप्रा रियल एस्टेट	372	-	96.65	40	विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रस्तुत															
6	लोहिया डेवलपर्स	45	-	12.48	4.8	अनुज्ञापि निरस्तीकरण के लिए प्रस्तावित															
7	ए.एन.एस. कान्स. प्रा. लि.	226.3	27.01.2015	168.84	83	पुनरीक्षित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिनांक 11.12.2013 बोर्ड द्वारा अनुमोदित (16.01.2014) किन्तु तलपट मानचित्र अभी जरी नहीं हुआ है															
8	में. अमरावती रेसी. प्रा.लि..	59.0	-	30.07	25	विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रस्तुत															
योग		1501.412		965.72	786.05	2370	2370	23457													

परिशिष्ट-2.16

{प्रस्तर 2.1.10.2 (i) में सन्दर्भित}

इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं के अंतर्गत विकासकर्ताओं, जिनको लाईसेन्स दिये गये हैं, से प्रशासनिक प्रभार की वसूली न करने को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ लाख में)

क्र०सं०	विकासकर्ता का नाम	भूमि का क्षेत्रफल जिसके लिए धारा 4/16 या 17 की अधिसूचना जारी हुई (हेक्टेयर में)	अधिसूचना की तिथि	धारा-4 की अधिसूचना जारी करने के लिए वि. भू.अ.अ. द्वारा मांगी गयी धनराशि	धनराशि का 10 प्रतिशत (कालम 5 के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1	एल्डेको सिटी प्राइवेट लिमिटेड	12.432	15.10.2010	621.71	62.17
2	विराज कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	64.642	29.09.2011	4718.01	471.80
3	एम्मार एमजीएफ लैंड लिमिटेड	13.824	19.01.2013	1307.85	130.78
योग				6647.57	664.75

## परिशिष्ट-2.17

(प्रस्तर 2.1.11.1 में सन्दर्भित )

एक व्यक्ति को एक से अधिक सम्पत्ति आबंटन को दर्शाती हुई विवरणी

क्र० सं०	एक व्यक्ति को आबंटित संपत्तियों की संख्या	संपत्तियों की पंजीकरण संख्या
1	157 व्यक्तियों को दो संपत्तियाँ आबंटित की गयीं	(2570812, 3094704), (2928625, 3094530), (3050226, 3025832), (3101309, 3099277), (3091817, 3095879), (2998498, 3029843), (2956238, 3057737), (2005926, 3032449), (2892763, 3047917), (3101029, 3095421), (3063048, 3036864), (2926977, 3074899), (2194686, 2985676), (2619033, 2560666), (2836357, 2836381), (2597046, 2952377), (2958119, 3022961), (2340878, 2792128), (2263939, 2467911), (2288166, 3144394), (2477292, 2254507), (3028366, 3038159), (2041738, 2541674), (3081363, 3094929), (2961129, 3066449), (3114528, 3121870), (3062454, 3066703), (3040002, 3037637), (2281641, 2287027), (2140582, 2857211), (2509665, 2049454), (2302463, 3032093), (2015644, 2967251), (2811422, 2811449), (2348295, 3032896), (3074417, 3084060), (2994606, 3118108), (2998214, 3057702), (3096735, 3119968), (2472465, 2504150), (3081925, 3095365), (2119629, 2125957), (2353357, 2740506), (2222969, 2284464), (2595720, 2304344), (2210425, 2172677), (2621294, 2618209), (323935, 2555542), (2834508, 2852656), (2365976, 2898034), (2320208, 3074243), (3089690, 3088807), (2206037, 2206029), (3116350, 3121474), (2503088, 2998905), (3096933, 3096751), (2781155, 2848783), (2158777, 3023563), (2076259, 2621318), (2515800, 2146169), (167748, 2132349), (2505603, 3036002), (2486408, 2574202), (2960733, 2954646), (2991066, 3026557), (2869506, 2757248), (2956163, 2960607), (2960080, 2960444), (2660557, 2049553), (2475127, 2270074), (2654684, 2967749), (2629439, 2525047), (3101912, 3103900), (3098873, 3099590), (3103702, 3099060), (2394113, 2786105), (2660747, 2966197), (2246994, 2801755), (2929591, 2928202), (2852443, 3062925), (3069360, 3071040), (2834998, 3008903), (2578955, 3039386), (2992413, 3054890), (959062, 2001776), (2114826, 2114834), (2166480, 2685639), (2909775, 2882475), (3100451, 3102027), (3044519, 3064062), (2849645, 2952674), (2006940, 2435985), (3025495, 3036912), (2035428, 2784936), (3115874, 3120690), (2610005, 2441823), (472295, 2172982), (2757385, 3061603), (2064494, 2032522), (2757347, 2830465), (2601071, 2788433), (3037268, 3154912), (2218174, 2076952), (3140169, 3139642), (2305666, 2369192), (2057449, 3023092), (2786868, 3094613), (722899, 2834730), (3023900, 3034817), (2070332, 2131996), (2169584, 3027847), (2577638, 2075847), (3081941, 3095183), (3021904, 3037680), (3095448, 3094506), (2049355, 3035486), (3121565, 3122745), (3006642, 3095322), (2106103, 2105105), (2190221, 2978901), (2634595, 2618000), (2472374, 2470541), (2472382, 3088930), (2502633, 2936363), (2989446, 3064386), (3008547, 3115253), (3052083, 3059246), (3088617, 2980054), (3083921, 3089872), (3002235, 3036575), (3026188, 3008127), (2432287, 3097867), (2585997, 2963495), (2595739, 2304328), (3006005, 3007873), (2848085, 2847627), (2071215, 2285743), (2144138, 2140989), (3034287, 3066829), (2960578, 2992373), (2134867, 2522986), (1070833, 1070952), (2023655, 2471630), (2151349, 2151357), (2200980, 2318105), (2219734, 2247015), (2237918, 3041482), (2278631, 2302562), (2314758, 2314766), (2439482, 2378961), (2472141, 2472157), (2581413, 2601379), (2944952, 2963414), (3063013, 3070323), (3122076, 3122191), (709470, 713242), (931823, 956281)
2	नौ व्यक्तियों को तीन संपत्तियाँ आबंटित की गयीं	(2166935, 3152884, 2765505), (2766404, 2809065, 3054775), (3114536, 3121897, 3122994), (3099954, 3082923, 3121557), (2990342, 2990540, 3001451), (3063270, 3074045, 3066548), (2021774, 2848973, 2261975), (2990722, 3005023, 3037739), (3098517, 3100245, 3099855)
3	एक व्यक्ति को चार संपत्तियाँ आबंटित की गयीं	2786825, 3064228, 3074607, 3066382

परिशिष्ट-2.18

(प्रस्तर 2.1.11.2 में सन्दर्भित)

सीधे तथा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आबंटित की गयी सम्पत्तियों को दर्शाती हुई विवरणी

क्र० सं०	संपत्ति पहचान संख्या	आबंटन की तिथि	योजना/सेक्टर का नाम	आबंटन की विधि	संपत्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1	6346	23.03.2010	सेक्टर-डी कानपुर रोड	डी <sup>1</sup>	482
2	32758	31.03.2010	सेक्टर-एच जानकीपुरम	डी	3/494
3	49148	16.04.2010	सेक्टर-एच कानपुर रोड	डी	297
4	55855	16.04.2010	सेक्टर-एच कानपुर रोड	डी	1440
5	219961	29.12.2009	विराज खण्ड	डी	2/369
6	223676	13.04.2009	सेक्टर- 6	एफ <sup>2</sup>	6/848
7	224386	06.05.2009	सेक्टर- 3	डी	3/230
8	224669	13.07.2009	सेक्टर- 3	डी	3/650
9	226255	07.03.2010	सेक्टर- 3	डी	6/567
10	226320	06.05.2011	सेक्टर- 6	डी	6/356-सी
11	227547	02.01.2010	सेक्टर-एच	डी	एए-1/271
12	234893	07.02.2009	सेक्टर-बी अलीगंज	डी	48
13	249625	04.01.2009	सेक्टर-ई सीतापुर रोड	डी	29-जनवरी
14	255226	28.08.2010	ला पैलेस	एफ	2
15	260527	16.04.2014	विराज खण्ड	एफ	सीपी/169
16	264607	20.03.2010	सेक्टर-एच जानकीपुरम	डी	4/871
17	274135	12.05.2009	सेक्टर-एम-1	डी	639
18	276049	09.12.2009	सेक्टर-एच जानकीपुरम	डी	4/780
19	277208	23.06.2009	सेक्टर- 4	डी	4/811-एफ
20	277280	24.08.2009	सेक्टर- 4	डी	4/263-पी
21	277333	20.05.2009	सेक्टर- 4	डी	4/526-एम
22	278739	08.06.2009	सेक्टर- 6	डी	6/852
23	278740	08.06.2009	सेक्टर- 6	डी	6/855
24	278741	08.06.2009	सेक्टर- 6	डी	6/857
25	285256	18.05.2010	सेक्टर-बी कानपुर रोड	एफ	34/2
26	289211	12.08.2009	सेक्टर- 6	एफ	6/851
27	289670	11.01.2009	सेक्टर- 7	डी	7/130
28	290249	02.01.2010	सेक्टर-एच	डी	एस-2//432
29	290250	02.01.2010	सेक्टर-एच	डी	एस-2//433
30	290285	08.06.2009	विकल्प खण्ड	एफ	4/134
31	291337	06.01.2009	सेक्टर-एच	डी	एस-2/719
32	291338	06.01.2009	सेक्टर-एच	डी	एस-681
33	291339	06.01.2009	सेक्टर-एच	डी	एस-2/682
34	291340	06.01.2009	सेक्टर-एच	डी	एस-2/720
35	291341	06.01.2009	सेक्टर-एच	डी	एस-490
36	292913	30.12.2009	सेक्टर-सी सीतापुर रोड	डी	डीएस/204

<sup>1</sup> सीधे आबंटन

<sup>2</sup> पहले आओ पहले पाओ

1	2	3	4	5	6
37	292934	29.12.2009	सेक्टर-सी सीतापुर रोड	डी	डीएस/125
38	294198	23.11.2012	विक्रांत खण्ड	डी	पीजे/402/ए-3
39	294758	18.02.2010	रत्नाकर खण्ड	एफ	फरवरी-85
40	295161	15.05.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1289
41	295162	15.05.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1292
42	295163	15.05.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1297
43	295164	15.05.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1300
44	295173	15.05.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1290
45	295258	15.05.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1294
46	295302	17.04.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1291
47	295303	17.04.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1293
48	295304	17.04.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1296
49	295317	17.04.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1298
50	295318	17.04.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1299
51	295485	15.05.2013	रतन खण्ड	एफ	1/1295
52	295539	25.01.2014	सेक्टर-बी कानपुर रोड	एफ	60
53	296288	16.04.2014	विकल्प खण्ड	एफ	3/506

परिशिष्ट-2.19

(प्रस्तर 2.1.12.1 में सन्दर्भित)

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के उल्लंघन को दर्शाती हुई विवरणी

क्र० सं०	भवन निर्माण उपविधि के उपवाक्य	प्रेक्षण	प्राधिकरण का उत्तर	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	<b>मोबाइल टावर की स्थापना</b> भवन उपविधि के अध्याय -12 के प्रावधानों के अंतर्गत, किसी मोबाइल टावर की स्थापना के पूर्व स्थापनाकर्ता विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों के साथ ₹ एक लाख प्रति टावर की दर से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करेगा। जमा शुल्क की वैधता तीन वर्षों की होगी उसके उपरांत प्रत्येक तीन वर्षों के नवीनीकरण के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क का 25 प्रतिशत देय होगी।	मोबाइल टावर स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क न लिया जाना।	नियम एवं शर्तों की पूर्ति न होने के कारण मोबाइल टावरों की स्थापना की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है और कुछ मोबाइल संचालक उनका संचालन अवैध रूप से कर रहे हैं।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राधिकरण अवैध रूप से संचालित टावर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में विफल रहा।
2	<b>एटीएम की स्थापना</b> भवन उपविधि के अध्याय -20 के प्रावधानों के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में 300 वर्ग.मी.के भू-खंड पर एटीएम स्थापना की स्वीकृति दी जा सकती है पर कार्यालय/व्यवसायिक उपयोग से भिन्न भू खण्डों पर जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार भूमि की आवासीय दर (उ.प्र.आ.वि.प./ल.वि.प्रा./जिलाधिकारी सर्किल दर पर) के 50 प्रतिशत के बराबर प्रभाव शुल्क देय होगा।	आवासीय क्षेत्र में एटीएम की स्थापना पर प्रभाव शुल्क वसूल नहीं किये गए।	नियम एवं शर्तों की पूर्ति न होने के कारण एटीएम की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है। पुनः जिन आवासीय क्षेत्रों में एटीएम की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी गयी है वहां प्रभाव शुल्क का आरोपण व्यवहारिक नहीं है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राधिकरण अवैध रूप से एटीएम के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में विफल रहा।
3	<b>वर्षा जल संचय प्रणाली</b> भवन उपविधि के अध्याय-3, उपवाक्य 3.11.5 के अनुसार, उपलब्ध भवनों की छतों, खुले स्थान पर वर्षा जल संचय के उद्देश्य से भू-जल स्तर में सुधार हेतु 300 वर्ग.मी. से बड़े भू-खंड के समस्त भवनों के लिए एक, भूमिगत अथवा सतह पर, वर्षा जल संचय प्रणाली की स्थापना आवश्यक है। विगत पांच वर्षों में स्वीकृत मानचित्रों के विरुद्ध वर्षा जल संचय प्रणाली की स्थापना की स्थिति निम्नवत है  स्वीकृत मानचित्र-1568 प्रतिवेदित वर्षा जल संचयन -214	300 वर्ग.मी.के भू-खंड के भवनों में वर्षा जल संचयन की स्थापना सुनिश्चित नहीं की गई।	भविष्य में अनुपालन करने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।	उत्तर से स्पष्ट है की प्राधिकरण उपविधि एवं अधिनियम में प्रावधानित अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहा।



1	2	3	4	5
4	<p><b>सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र</b></p> <p>भवन उपविधि-2008 के अध्याय-3 उपवाक्य 3.11.6 के प्रावधानों के अंतर्गत सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना अस्पतालों, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, आराम गृह, छात्रावास, स्नातकोत्तर महाविद्यालय/ विश्वविद्यालयों/ तकनीकी संस्थान, सामुदायिक केंद्र, बारात घर इत्यादि एवं 500 वर्ग.मी.से बड़े भू-खण्डों वाले इमारतों के लिए अनिवार्य है। विगत पांच वर्षों में स्वीकृत मानचित्रों के विरुद्ध सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना की स्थिति निम्नवत थी</p> <p><b>स्वीकृत मानचित्र-721 स्थापित संयंत्र -22</b></p>	<p>500 वर्ग.मी. से बड़े भू-खण्डों के इमारतों में सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना सुनिश्चित नहीं की गयी।</p>	<p>प्राधिकरण ने कहा (जुलाई 2015) कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>उत्तर से स्पष्ट है की प्राधिकरण उपविधि एवं अधिनियम में प्रावधानित अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहा।</p>
5	<p><b>पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाना</b></p> <p>भवन उपविधि-2008 के उपवाक्य 3.1.8 के अनुसार 300 वर्ग.मी.से बड़े भू-खंड पर, 12 मीटर से ऊँचे भवनों, तीन तलों से ज्यादा के भवनों (भू-तल सहित) के निर्माण पूर्ण होने के बाद भू-स्वामी/विकासकर्ता, वास्तुविद, स्थल अभियंता के साथ प्राधिकरण को इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेगा कि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र, विशिष्टताओं, आईएस तथा एनबीसीसी के मानकों के अनुसार गुणवत्ता स्वीकृत संरचनात्मक अभिकल्प, भूकंपरोधी रचना व्यवस्था के अनुरूप है तथा भवन रहने योग्य है। विगत पांच वर्षों में स्वीकृत मानचित्रों के विरुद्ध पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति निम्नवत थी</p> <p><b>स्वीकृत मानचित्र-1568 पूर्णता प्रमाण पत्र जारी -44</b></p>	<p>पूर्णता प्रमाण पत्र का जारी न किया जाना</p>	<p>भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जायेगी।</p>	<p>उत्तर से स्पष्ट है की प्राधिकरण उपविधि एवं अधिनियम में प्रावधानित अपने दायित्वों के निर्वहन में विफल रहा।</p>

परिशिष्ट-2.20

(प्रस्तर 2.1.13 में सन्दर्भित)

नजूल भूमि की फ्रीहोल्ड की स्वीकृति को दर्शाती हुई विवरणी

क्रम संख्या	वर्ष	फ्रीहोल्ड (वर्ग मी. में)
1	2009-10	70838.35
2	2010-11	17345.65
3	2011-12	79351.26
4	2012-13	शून्य
5	2013-14	शून्य
योग		167535.26

## परिशिष्ट-2.21

(प्रस्तर 2.1.13 में सन्दर्भित)

फ्रीहोल्ड प्रभारों की गणना को दर्शाती हुई विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	विवरण	10 प्रतिशत अधिभार लेते हुए गणना	20 प्रतिशत अधिभार लेते हुए गणना	अंतर
1	2	3	4	5=4-3
1	1.09.2008 को जिलाधिकारी का आवासीय सर्किल दर	11500.00	11500.00	0.00
2	10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार 9 मी. से अधिक 12 मी. तक चौड़ी सड़क के लिए तथा 20 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार 12 मी. से 18 मी. सड़क के लिए	1150.00	2300.00	1150.00
3.	कुल दर	12650.00	13800.00	1150.00
4.	परिवर्तन गुणांक आवासीय दर का 25 प्रतिशत	3162.50	3450.00	287.50
5.	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	4428.252	4428.252	--
6.	मूल्यांकन	14004347.0	15277469.4	1273122.40
7.	90 दिनों के अंदर भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छुट	1400434.70	1400434.70	0.00
8.	शुद्ध देय धनराशि	12603912.30	13749722.4	1145810.16
9	जमा धनराशि	12603912.30	12603912.3	1145810.16

परिशिष्ट-2.22

(प्रस्तर -2.1.14 में सन्दर्भित)

अभिलेख/सूचनाएं जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	सम्बंधित अनुभाग	अप्रस्तुत अभिलेखों की संख्या
1	संपत्ति	स्थगन/अतिक्रमण/अन्य कारणों से अप्रयुक्त भूमि से सम्बंधित अभिलेख
2	योजना	28 मानचित्र के अभिलेख
3	अभियंत्रण	16 कार्यों के अभिलेख
4	विक्रय	345 दो आबंटन, 53 सीधे आबंटन, जानकीपुरम की सी.बी.आई.जाँच के अभिलेख एवं अनियमित तरीके से दिए गए छुट सम्बंधित अभिलेख
5	प्रवर्तन	शहर में अनाधिकृत कालोनिओं (241) के क्षेत्र का विवरण, उनके नियमतिकरण न करने के अभिलेख तथा उनके द्वारा देय विकास शुल्क सम्बन्धी अभिलेख

## परिशिष्ट-2.23

(प्रस्तर 2.2.1 में सन्दर्भित)

विभाग के अनुभागों और उनके कार्यों को दर्शाती हुई विवरणी

अनुभाग 1	अनुभाग के कार्य 2	अनुभाग प्रमुख 3
औद्योगिक विकास अनुभाग 1	यूपी राज्य वस्त्र निगम, यूपी राज्य स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड, यूपी राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड, सीमेन्ट निगम, बीआईएफआर, आईटीयूपी से संबंधित कार्य।	अनुभाग अधिकारी
औद्योगिक विकास अनुभाग 2	मुद्रण तथा लेखन सामग्री एवं विभागीय समन्वय से संबंधित कार्य।	अनुभाग अधिकारी
औद्योगिक विकास अनुभाग 3	औद्योगिक विकास प्राधिकरणों/यूपीएसआईडीसी के भूमि अधिग्रहण संबंधित कार्य तथा यूपीईआईडीए, वाईईआईडीए तथा एसईजेड के समग्र नियंत्रण से संबंधित कार्य।	अनुभाग अधिकारी
औद्योगिक विकास अनुभाग 4	नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गीडा, लीडा, सीडा, यूपीएसआईडीसी, डीएमआईसी तथा ईसीपी से संबंधित कार्य।	अनुभाग अधिकारी
अवस्थापना विकास अनुभाग	राज्य में बुनियादी सुविधाओं के विकास से संबंधित समन्वय एवं पीपीपी परियोजनाओं तथा निजी निवेशों से संबंधित नीतिगत कार्य।	अनुभाग अधिकारी
औद्योगिक विकास अनुभाग 6	औद्योगिक नीति एवं अन्य नीतियों से संबंधित प्रकरण, पूंजी निवेश, पिकप तथा यूपीएफसी तथा उद्योग बन्धु एवं सीआईआई से संबंधित कार्य।	अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट-2.24

(प्रस्तर 2.2.5.4 में सन्दर्भित)

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को दर्शाती हुई विवरणी

<p><b>अ. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रक्रिया</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्राधिकरणों/यूपीएसआईडीसी द्वारा संबंधित भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एलएसी-उत्तर प्रदेश में एडीएम/विभूअअ) को अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण कराने के बाद भू अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत मसौदा अधिसूचना तैयार करने के लिए प्रेषित किया जाता है।</li> <li>2. संबंधित एलएसी जरूरतमंद प्राधिकरणों/यूपीएसआईडीसी से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर भूअ अधिनियम, 1894 की धारा 4 व 6 के अन्तर्गत या तो 'सामान्य' उपवाक्य या 'आपातकालीन' उपवाक्य लागू करके अपेक्षित मसौदा अधिसूचना तैयार करता है। मसौदा अधिसूचना सरकार के समक्ष अनुमोदन के लिए निम्न वर्गीकरण के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।</li> <li>3. धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने का एक आशय है एवं विभाग/राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना के रूप में निर्गत किया जाता है।</li> <li>4. धारा 5-ए के अन्तर्गत आपत्तियां, भू-स्वामियों जिनकी भूमि धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित की गयी है, द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर संबंधित एलएसी के समक्ष दायर की जाती हैं।</li> <li>5. संबंधित एलएसी से धारा 5-ए आपत्तियों की रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात, समुचित सरकार द्वारा रिपोर्ट पर विचार किया जाता है, और तत्पश्चात धारा 6 की घोषणा या तो पूरी भूमि धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित की गयी है या एलएसी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कम पर की जाती है। धारा 6 की घोषणा, धारा 4 की घोषणा से एक वर्ष के अन्दर जारी करनी होती है, जिसमें विफल रहने पर धारा 4 की घोषणा स्वतः निरस्त हो जायेगी।</li> <li>6. संबंधित एलएसी को धारा 6 की घोषणा के दो वर्ष के अन्दर भूअ अधिनियम में अभिनिर्णय की घोषणा धारा 11 के अन्तर्गत करनी होती है। अभिनिर्णय की घोषणा होने के बाद चिन्हित भूमि का कब्जा भूअ अधिनियम, की धारा 16 के प्रावधान के अनुसार ले लिया/सौंप दिया जाता है।</li> </ol>
<p><b>ब. आपातकाल उपवाक्य लागू करते हुए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया में शामिल चरण</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. तत्काल भूमि की आवश्यकता में आपातकाल उपवाक्य लागू किया जाता है। धारा 4 जो कि धारा 17(4) सपठित 6 और 17(1) जिसमें धारा 5-ए के अन्तर्गत एलएसी के समक्ष भू-स्वामियों द्वारा आपत्ति दाखिल करने का प्रावधान हटा दिया जाता है, की घोषणा के लिए प्राधिकरणों/यूपीएसआईडीसी का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।</li> <li>2. प्राधिकरणों/यूपीएसआईडीसी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात धारा 4/17(1) सपठित 17 (4) की अधिसूचना जारी की जाती है। धारा 17(4), धारा 5-ए के अन्तर्गत आपत्तियों को हटा देती है।</li> <li>3. धारा 6 और 17(1) की घोषणा धारा 4 की अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात निर्गत की जा सकती है, धारा 17(1) की अधिसूचना के एक वर्ष के अन्दर अभिनिर्णय की घोषणा से पहले भूमि का कब्जा लिया जा सकता है। प्राधिकरणों/यूपीएसआईडीसी के लिए यह अनिवार्य है कि वह धारा 6 एवं 17(1) की घोषणा निर्गत करने से पहले, अनुमानित प्रतिकर राशि, जो संबंधित एलएसी द्वारा मांगी गयी है का 80 प्रतिशत मांगने वाले विभाग के पास जमा करे।</li> <li>4. संबंधित एलएसी धारा 6 एवं 17(1) के अन्तर्गत अधिसूचित भूमि का, प्रतिकर राशि का 80 प्रतिशत पेशकश करने के बाद, धारा 9(1) के अन्तर्गत सम्मिलित व्यक्तियों को 15 दिनों की पूर्व नोटिस देते हुए कब्जा ले लेगा।</li> <li>5. इसके अलावा एलएसी को धारा 6 एवं 17(1) की घोषणा करने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर अभिनिर्णय की घोषणा करनी होती है।</li> </ol>
<p><b>स. उ0प्र0भू0अ0 करार नियमावली 1997 के प्रावधान के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण</b></p> <p>करार नियमावली, 1997 की धारा 2 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण करने वाला निकाय/विभाग भू-स्वामियों के साथ आपसी समझौते (करार) द्वारा प्रतिकर की दर तय कर सकता है और बाद में एलएसी को भूअ अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत अनुमोदन और अभिनिर्णय के लिए प्रस्तुत कर सकता है।</p>
<p><b>द. ग्राम सभा भूमि का पुर्नग्रहण</b></p> <p>ग्राम सभा भूमि का पुर्नग्रहण यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 117(6) के अन्तर्गत किया जाता है।</p>

## परिशिष्ट-2.25

(प्रस्तर 2.2.5.5 में सन्दर्भित)


प्राधिकरणों में अब तक बने विनियमावलियों को दर्शाती हुई विवरणी

प्राधिकरण का नाम	विनियमों के नाम	बोर्ड से अनुमोदन की तिथि	विभाग को प्रेषित करने की तिथि	विभाग से अनुमोदन की स्थिति
यूपीसीडा	(i) योजना विनियमावली, 2004 को तैयार करना एवं अन्तिम रूप देना	मार्च, 2005	अप्रैल, 2010	गैर-अनुमोदित
	(ii) भूमि विकास विनियमावली, 2004	मार्च, 2005	अप्रैल, 2010	गैर-अनुमोदित
	(iii) भवन विनियमावली, 2004	मार्च, 2005	अप्रैल, 2010	गैर-अनुमोदित
लीडा	(i) योजना विनियमावली, 2013 को तैयार करना एवं अन्तिम रूप देना	मई, 2013	अप्रैल, 2015	गैर-अनुमोदित
	(ii) सेवा विनियमावली, 2013	नवम्बर, 2013	नवम्बर, 2013	गैर-अनुमोदित

परिशिष्ट-2.26

(प्रस्तर 2.2.6.1 में सन्दर्भित)

उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) का संगठनात्मक चार्ट





## परिशिष्ट-2.27

(प्रस्तर 2.2.6.5 में सन्दर्भित)

भूमि अधिग्रहण के 11 प्रस्तावों को छोड़ने को दर्शाती हुई विवरणी

क्र० सं०	जनपद	औद्योगिक क्षेत्र	ग्राम का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	शासनादेश के अनुसार कटौती	अवरुद्ध धन (₹ करोड़ में)	प्रकरणों के छोड़ने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गाजियाबाद	मंसूरी गुलावटी सड़क विस्तार	देहरा, रावली और उदय रामपुर नगला	400.87	1.01	0.85	किसानों का विरोध और नई नीति के अनुसार अधिग्रहण व्यवहार्य नहीं
2	गाजियाबाद	ट्रोनिका शहर विस्तार	पावी सादिकपुर	123.71	1.23	4.8	किसानों का विरोध
3	आजमगढ़	आजमगढ़	कन्दरपुर बलदेव मंदूरी	160.47	0.36	9.35	किसानों का विरोध
4	बाराबंकी	कुर्सी रोड विस्तार	अमरसण्डा	208.16	1.13	0	किसानों का विरोध
5	मेरठ	मेरठ बाईपास	अचरोदा, भोदमारल, परतापुर	150.916	0.94	0.94	किसानों का विरोध
6	कानपुर नगर	चकरी-II	चकरी	35.011	0.46	7.85	किसानों द्वारा दर पर राजी न होना
7	उन्नाव	सामान्य औद्योगिक क्षेत्र, शेखपुर नारी	शेखपुर नारी	117	0.21	0	किसानों का विरोध
8	कानपुर नगर	चकरी-II	चतमारा	49.109	0.12	0.56	किसानों का विरोध
9	रमाबाई नगर	सैटेलाइट टाऊनशिप	जलालपुर नागिन और नागिन जस्सी	311.28	0.87	4.12	भूमि की वर्तमान में आवश्यकता नहीं एवं धन की अनुपलब्धता
10	मुरादाबाद	एसईजेड विस्तार	बहादुरपुर, राजपूत, मालीपुर, गजगोला, रतनपुर कला, लालपुर गंगवारी, फाजिल पुर	675.742	0.58	4.09	मण्डलीय अनुमोदन समिति ने अधिग्रहण को मंजूरी नहीं दी थी
11	गाजियाबाद	ट्रोनिका शहर	मीरपुर हिन्दू	656.887	1.95	3.59	धन की कमी
			अल्लीपुर	632.143	1.25	2.09	धन की कमी
<b>योग</b>				<b>3521.298</b>	<b>10.11</b>	<b>38.24</b>	

परिशिष्ट-2.28

(प्रस्तर 2.2.6.5 में सन्दर्भित)

धन के अवरुद्ध होने को दर्शाती हुई विवरणी

क्र० सं०	लेखा परीक्षा आपत्ति	क्षेत्र (एकड़ में)	धनराशि (₹ करोड़ में)		
1	<p><b>भूमि अधिग्रहण के लिए समय-वर्जित अधिसूचनाओं के कारण हानि और धन का अवरुद्ध होना:</b></p> <p>हापुड़ में एक चर्मनगरी (लेदर सिटी) औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के विकास को यूपीएसआईडीसी द्वारा जून, 2007 में प्रारम्भ किया गया था। प्रारम्भ में, योजना के लिए आवश्यक 250 एकड़ भूमि हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण), हापुड़ से चरणों में लिया जाना था और यूपीएसआईडीसी को हस्तान्तरित किया जाना था। प्राधिकरण ने सूचित (जून, 2007) किया कि प्रथम चरण में चित्तौली, सबदी, इम्तौरी गांवों की 28.804 हेक्टेयर भूमि, द्वितीय चरण में रामपुर गांव की 53.714 हेक्टेयर भूमि तथा तृतीय चरण में 167.90 हेक्टेयर भूमि के लिए अधिग्रहण किया जायेगा और उसने यूपीएसआईडीसी से ₹ 110.00 करोड़ की मांग की। यूपीएसआईडीसी ने प्राधिकरण को ₹ 16.00 करोड़ का भुगतान अगस्त, 2007 में किया।</p> <p>भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4(1)/17 की अधिसूचना प्रथम चरण के अधिग्रहण के लिए जुलाई, 2006 में तथा द्वितीय चरण के लिए सितम्बर, 2006 में निर्गत की गयी। जबकि प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए धारा 6 (1)/17 के तहत अधिसूचनायें विभाग (आईआईडीडी) द्वारा क्रमशः दिसम्बर, 2007 और जनवरी, 2008 में निर्गत की गयी थी। यूपीएसआईडीसी ने प्राधिकरण को ₹ 62.84 करोड़ का भुगतान किया और 82.518 हेक्टेयर कब्जा कागज पर प्राप्त किया। बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय में चर्मनगरी (लेदर सिटी) की स्थापना के विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर की गयी थी तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जुलाई, 2011 में सिविल अपील वाद 66 और 67/2007 में निर्गत अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया। अतः प्राधिकरण के पास हस्तान्तरण के लिए कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं थी।</p> <p>यूपीएसआईडीसी ने प्राधिकरण से ₹ 62.84 करोड़ की धनराशि 16 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करने के लिए मांग की (जुलाई, 2012)। इस सन्दर्भ में प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये विवरण निम्नानुसार हैं :</p>	203.901	44.03		
(₹ करोड़ में)					
	दी गयी धनराशि	किसानों को वितरित धनराशि	विभूअ तथा प्राधिकरण द्वारा काटी गयी धनराशि (हानि)	प्राधिकरण द्वारा वापस की गयी धनराशि	अवरुद्ध धनराशि
	1	2	3	4	5 =1-4-3
	62.84	33.87	13.20	18.81	30.83
<p>इस प्रकार, यूपीएसआईडीसी के समुचित अनुनय न करने तथा समय-वर्जित अधिसूचनायें जारी करने के कारण ₹ 13.20 करोड़ की हानि तथा विफल रहे अधिग्रहण के लिए ₹ 30.83 करोड़ की धनराशि किसानों के बीच वितरित प्रतिकर के रूप में अवरुद्ध पड़ी थी।</p>					

## परिशिष्ट-2.29

(प्रस्तर 2.2.6.6 में सन्दर्भित)

स्थानीय निकायों को सौंपी गयी योजनाओं के अनुरक्षण/उच्चीकरण पर किये गये अनियमित व्यय को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	अनुरक्षण/ उच्चीकरण कार्य पर कुल व्यय
1	उद्योग कुन्ज, गाजियाबाद	0.40	0.04	—	0.44
2	साइट-I, बुलन्दशहर रोड, गाजियाबाद	1.06	0.49	3.77	5.32
3	साइट-III, मेरठ रोड, गाजियाबाद	—	—	0.67	0.67
4	साइट-IV, साहिबाबाद, गाजियाबाद	2.86	1.58	2.09	6.53
5	लोनी, गाजियाबाद	—	0.03	—	0.03
6	पनकी साइट-I, II, III, IV एवं V, कानपुर	0.18	—	—	0.18
7	उद्योगपुरम, मेरठ	0.43	0.06	0.37	0.86
8	उन्नाव, साइट- I और II	0.62	0.24	0.12	0.98
9	मथुरा, साइट- ए	0.52	0.45	—	0.97
10	सरोजनीनगर, लखनऊ	1.43	3.04	1.23	5.70
11	अमौसी, लखनऊ	1.08	2.17	1.36	4.61
12	पारसाखेड़ा, बरेली	—	1.31	—	1.31
13	मऊ	0.32	0.02	—	0.34
	योग	8.90	9.43	9.60	27.93

परिशिष्ट-2.30

(प्रस्तर 2.2.6.7.5 में सन्दर्भित)

अनाबंटित भूमि के विवरण को दर्शाती हुई विवरणी

क्र० सं०	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	आबंटन के लिए उपलब्ध भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	आबंटन के लिए शेष भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	आबंटन के लिए शेष क्षेत्र का प्रतिशत	औद्योगिक क्षेत्र का मूल्य (₹)/वर्ग मी०	मूल्य (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=4*6*4047
1	कोसी कोटवां एक्स०-1	136.07	134.15	98.59	2500	135.72
2	कोसी कोटवां एक्स०-2	193.02	188.4	97.6	2500	190.61
3	गौरीगंज	98	98	100	0	0
4	सुमेरपुर	320.4	113.77	35.5	950	43.74
5	खेमसेरपुर	266.61	175.14	65.69	540	38.27
6	जी०सी० दिबीयापुर	172.22	150.48	87.37	1500	91.34
7	रायबरेली औ०क्ष०	85.95	38.67	44.37	1000	15.64
8	अलीगढ़, सीडीएफ	83.46	30.14	36.11	3300	40.25
9	एसईजेड, मुरादाबाद	251.66	159.9	63.53	4000	258.84
	योग	1969.95	1092.65			814.41


## परिशिष्ट-2.31

(प्रस्तर 2.2.6.7.5 में सन्दर्भित)


इकाईयों के रूग्ण/बंद होने के कारण उपयोग में न आ रही भूमि को दर्शाती हुई विवरणी

क्र० सं०	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	आबंटित भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	रूग्ण/बंद होने के तहत भूमि का क्षेत्र (एकड़ में)	बंद इकाईयों का प्रतिशत	2014-15 की दरें (₹)/वर्ग मी०	भूमि का मूल्य (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7=4*6*4047
1	बरगढ़-I	499	499	100	0	0.00
2	प्रतापगढ़	98	98	100	0	0.00
3	गजरौला- I	34.76	34.76	100	0	0.00
4	गौरीगंज	74.52	66.01	88.58	0	0.00
5	सेक्टर 17, कविनगर	148.95	84.76	56.9	13300	456.22
6	उरई- I	159.72	93.34	58.43	950	35.89
7	उरई- II	179.99	112.5	62.5	950	43.25
8	जीसी झांसी	62.63	43.62	69.64	1300	22.95
9	खेमसेपुर	91.47	66.38	72.57	540	14.51
10	मलवां	357.87	275.71	77.04	1500	167.37
11	रूमा ब्लीचिंग	19.66	9.6	50.76	5800	22.53
12	रूमा टैक्सटाईल	67.43	49.8	71.51	5100	102.79
13	रूमा विस्तार	33.13	14.05	53.03	9300	52.88
14	जीसी जैनपुर	115.79	107.78	93.08	1500	65.43
15	जीसी दिबीयापुर	21.74	21.74	100	1500	13.20
16	सूरजपुर साइट-ए	289	202	69.89	0	0.00
17	उन्नाव साइट-III	87.24	44.8	51.35	3530	64.00
18	बन्थर आईआईडीसी	16.28	13.4	82.3	4000	21.69
19	चकेरी	15.22	8.88	58.34	4300	15.45
योग		2372.40	1846.13			1098.16

परिशिष्ट-2.32  
(प्रस्तर 2.2.7.1 में सन्दर्भित)  
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का संगठनात्मक चार्ट




परिशिष्ट-2.33  
(प्रस्तर 2.2.8.1 में सन्दर्भित)  
लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा) का संगठनात्मक चार्ट



परिशिष्ट-2.34

(प्रस्तर 2.3.2 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण का संगठनात्मक ढांचा (उपनेडा)





परिशिष्ट-2.35  
(प्रस्तर 2.3.6 में सन्दर्भित)

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय (एमएनआरई) तथा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त कोष एवं इसके सापेक्ष वास्तविक व्यय को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	ऑफ-ग्रिड परियोजनायें							गैर-सौर परियोजनायें	ग्रिड संयोजित परियोजना	प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ		कुल योग
		सौर परियोजनाय						बायोगैस			वायु ऊर्जा	प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ	
		सौर मार्ग प्रकाश	लेहिया आवास के लिए सौर ऊर्जा पैक योजना	सौर घरेलू प्रकाश	सौर ऊर्जा संयंत्र	सौर वॉटर हीटर	मिनीग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2007-08	एमएनआरई अंश	0.96	0.00	1.92	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	3.64	
	राज्य अंश	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.79	
	कुल कोष की प्राप्ति	1.67	0.00	1.92	0.00	0.05	0.00	0.00	0.08	0.71	0.00	4.43	
	वास्तविक व्यय	1.67	0.00	1.92	0.00	0.05	0.00	0.00	0.07	0.66	0.00	4.37	
2008-09	एमएनआरई अंश	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	3.62	
	राज्य अंश	0.72	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87	
	कुल कोष की प्राप्ति	4.02	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	5.49	
	वास्तविक व्यय	4.02	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	4.24	
2009-10	एमएनआरई अंश	2.54	0.00	7.79	7.26	0.12	0.00	0.00	0.00	1.45	0.10	19.26	
	राज्य अंश	2.07	0.00	1.05	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	
	कुल कोष की प्राप्ति	4.61	0.00	8.84	7.26	0.44	0.00	0.00	0.00	1.45	0.10	22.70	
	वास्तविक व्यय	4.61	0.00	8.84	7.26	0.31	0.00	0.00	0.00	1.45	0.10	22.57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010-11	एमएनआरई अंश	9.30	0.00	16.98	8.83	0.47	0.00	1.25	0.00	0.00	0.07	38.24
	राज्य अंश	19.54	0.00	1.53	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.47
	कुल कोष की प्राप्ति	28.84	0.00	18.51	8.83	0.58	0.00	1.25	0.00	0.00	0.07	58.08
	वास्तविक व्यय	28.84	0.00	18.51	7.98	0.55	0.00	0.27	0.00	0.00	0.07	57.66
2011-12	एमएनआरई अंश	11.00	0.00	0.94	4.04	0.91	0.00	0.25	0.00	0.37	0.00	17.51
	राज्य अंश	24.45	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.46
	कुल कोष की प्राप्ति	35.45	0.00	0.95	4.04	0.91	0.00	0.25	0.00	0.37	0.00	41.97
	वास्तविक व्यय	35.34	0.00	0.95	4.01	0.89	0.00	0.54	0.00	0.29	0.00	42.02
2012-13	एमएनआरई अंश	15.42	0.00	0.00	8.30	2.00	0.40	0.00	0.00	0.04	0.17	18.85
	राज्य अंश	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40.17
	कुल कोष की प्राप्ति	53.85	0.00	0.00	8.30	2.00	2.14	0.00	0.00	0.04	0.17	59.02
	वास्तविक व्यय	53.85	0.00	0.00	8.30	0.16	0.84	0.47	0.00	0.03	0.11	56.28
2013-14	एमएनआरई अंश	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.05	0.00	0.00	3.45
	राज्य अंश	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.15	41.92
	कुल कोष की प्राप्ति	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.18	0.00	0.15	45.37
	वास्तविक व्यय	44.64	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.40	0.17	0.00	0.15	45.71
2014-15	एमएनआरई अंश	0.32	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	3.32
	राज्य अंश	61.06	111.09	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	204.61
	कुल कोष की प्राप्ति	61.38	111.09	34.59	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.30	207.64
	वास्तविक व्यय	31.57	87.43	16.23	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.30	136.11
सकल योग	एमएनआरई अंश	45.84	0.00	30.06	28.42	3.55	0.40	2.48	0.05	2.88	0.34	107.89
	राज्य अंश	188.62	111.09	34.75	0.00	1.58	1.74	0.00	0.21	0.00	0.45	344.73
	कुल कोष की प्राप्ति	234.46	111.09	64.81	28.42	5.13	2.14	2.48	0.25	2.88	0.79	452.62
	वास्तविक व्यय	204.54	87.43	46.45	27.56	2.46	0.84	2.26	0.24	2.57	0.73	369.03

**परिशिष्ट-2.36**  
(प्रस्तर 2.3.10.1 में सन्दर्भित)  
कॉम्पेक्ट फ्लोरोसेन्ट लाईट आधारित सौर मार्ग प्रकाश की खरीद पर अतिरिक्त व्यय को दर्शाती हुई विवरणी

प्रस्ताव की तिथि	एमएनआरई का अनुमोदन	अनुमोदित सौर मार्ग प्रकाश की संख्या	क्रय आदेश जारी करने की तिथि	क्रय आदेशानुसार सौर मार्ग प्रकाश की संख्या	सीएफएल आधारित सौर मार्ग प्रकाश की खरीद दर (₹ में)	एलईडी आधारित सौर मार्ग प्रकाश की खरीद दर* (₹ में)	अन्तर (₹ में)	अतिरिक्त व्यय (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8=(6-7)	9=5x8
फरवरी 2011	मार्च 2011	1,560	मार्च 2011 से नवम्बर 2011	1,560	22,301	16,830	5,471	0.85
मई 2011	सितम्बर 2011	10,815	अक्टूबर 2011 से दिसम्बर 2011	16,507	22,301	16,830	5,471	5.81
सितम्बर 2011	अक्टूबर 2011	5,888			22,301	16,830	5,471	3.22
<b>योग</b>		<b>18,263</b>		<b>18,067</b>				<b>9.88</b>

\*एक अलग योजना में उसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त एलईडी आधारित सौर मार्ग प्रकाश की क्रय दर


**परिशिष्ट-2.37**  
(प्रस्तर 2.3.10.3 में सन्दर्भित)  
**नमूना जाँच के लिए चयनित सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थिति**

क्र० से०	परियोजना का नाम	अनुमोदित				स्थापित			अकार्यशील			
		सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या	प्रति सौर ऊर्जा संयंत्रों की दर (₹ लाख में)	प्रत्येक संयंत्र की क्षमता (किलोवाट में)	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	कुल क्षमता (किलोवाट में)	सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या	भुगतान (₹ करोड़ में)	कुल क्षमता (किलोवाट में)	सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या	कुल क्षमता (किलोवाट में)	कुल मूल्य (₹ करोड़ में)
		1	2	3	4=1*2	5=1*3	6	7	8=3*6	9	10=3*9	11=7/6*9
अ	मिनी-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र	47	3.6	1.2	1.69	56.4	23	0.83	27.6	23	27.6	0.83
ब	सौर ऊर्जा संयंत्र											
1	यूपीपीसीएल मुख्यालय	2	15	30	0.64	30	0	0	0	0	0	0
2	आश्रम पद्धति विद्यालय	57	9.56	4.8	9.06	273.6	22	1.44	105.6	22	105.6	1.44
3	पुलिस स्टेशन	340	2.59	1.1	8.82	374	340	8.52	374	137	150.7	3.43
4	राम ईश संस्थान, गाजियाबाद	1		50	0.76	50	1	0.22	50	0	0	0
5	बीपीसीएल पेट्रोल पंप, फैजाबाद	1		16	0.44	16	1	0	16	0	0	0
6	नाईश सोसाईटी, सहारनपुर	1		100	3.83	100	1	1.15	100	0	0	0
7	शोभित यूनिवर्सिटी, मेरठ	1		100	3.83	100	1	1.15	100	0	0	0
8	दयाल बाग एजुकेशनल संस्थान, आगरा	9	57.58	518.2	11.50	518.2	9	1.9	518.2	0	0	0
9	एल एन्ड टी दादरी, गौतमबुद्ध नगर	1		95.24	2.55	95.24	1	0.35	95.24	0	0	0
	<b>कुल ब</b>	<b>413</b>			<b>41.43</b>	<b>1557.04</b>	<b>376</b>	<b>14.73</b>	<b>1359.04</b>	<b>159</b>	<b>256.3</b>	<b>4.87</b>
	सकल योग अ+ब	460			43.12	1613.44	399	15.56	1386.64	182	283.9	5.70

## परिशिष्ट-2.38

(प्रस्तर 2.4.2 में सन्दर्भित)

राज्य में नवीन कोयला वितरण नीति के कार्यान्वयन का संगठनात्मक चार्ट



(स्रोत : एनसीडीपी, माड्यूलेट एवं उद्योग निदेशालय तथा यूपीएसआईसी द्वारा दी गयी सूचनाओं से संकलित)

परिशिष्ट-2.39

(प्रस्तर 2.4.8.1 में सन्दर्भित)

अपात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को 4200 एमटी प्रतिवर्ष से अधिक वितरित कोयले को दर्शाती हुई विवरणी

क्र० सं०	वर्ष	फर्म का नाम	वितरित कोयले की मात्रा (एमटी)	मूल्य (₹ में)
1	2009-10	ए०सी० ट्रेडर्स, अगवानपुर, मुरादाबाद	4,432.69	1,15,75,161
2	2009-10	गुप्ता कोल इण्डसट्रीज, अगवानपुर, मुरादाबाद	4,348.15	98,79,059
3	2009-10	उर्मिल अग्रवाल यूनिट-1, अगवानपुर, मुरादाबाद	4,305.14	1,03,90,066
4	2010-11	ए०सी० ट्रेडर्स, अगवानपुर, मुरादाबाद	4,925.75	1,28,13,410
5	2010-11	चौरसिया इण्टरप्राईसेज, अगवानपुर, मुरादाबाद	4,530.90	120,42,680
6	2010-11	आर०जी० इम्पैक्स, ए 6, देवविहार, मुरादाबाद	4,362.70	1,14,24,147
7	2010-11	आर०एम० सेल्स, अगवानपुर, मुरादाबाद	4,587.81	1,18,25,786
8	2010-11	विक्रम इण्टरप्राईसेज, अगवानपुर, मुरादाबाद	4,555.44	1,19,05,732
		योग	36,048.58	9,18,56,041

( स्रोत : यूपीएसआईसी द्वारा दी गयी सूचनाओं से संकलित)

## परिशिष्ट-2.40

(प्रस्तर 2.4.8.2 में सन्दर्भित)

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (यूपीएसआईसी) द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक वितरित कोयले को दर्शाती हुई विवरणी

(मात्रा एमटी में)

क्र०सं०	डीआईसी का नाम	अवधि	पार्टियों की संख्या	वितरित कोयले की मात्रा	अधिकतम वितरण की जा सकने वाली मात्रा	अधिक वितरित कोयले की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1	गोंडा	2012-13	9	6,211.68	5,400	811.68
2	फैजाबाद	2011-12 से 2012-13	7	4,321.02	4,200	121.02
3	वाराणसी	2011-12 से 2012-13	25	22,494.69	15,000	7,494.69
4	चन्दौली	2011-12 से 2013-14	26	21,399.87	15,600	5,799.87
5	गाजीपुर	2011-12 से 2013-14	35	30,163.71	21,000	9,163.71
6	मुरादाबाद	2011-12 से 2013-14	129	1,85,100.72	77,400	1,07,700.71
7	जेपी नगर	2011-12 से 2013-14	18	33,688.69	10,800	22,888.69
8	रामपुर	2011-12 से 2013-14	33	26,026.48	19,800	6,226.48
		योग	282	3,29,406.85	1,69,200	1,60,206.85

(स्रोत : यूपीएसआईसी द्वारा दी गयी सूचनाओं से संकलित)

परिशिष्ट-2.41

(प्रस्तर 2.4.8.3 में सन्दर्भित)

उद्यमों की क्षमता/वार्षिक आवश्यकता से अधिक वितरित  
कोयले को दर्शाती हुई विवरणी

(मात्रा एमटी में)

जिले का नाम	क्र० सं०	उद्यम का नाम	उद्यम की क्षमता/ वार्षिक आवश्यकता	वितरण का वर्ष	उद्यम को वितरित कोयले की मात्रा	उद्यम की क्षमता/ आवश्यकता से अधिक वितरित कोयले की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
वाराणसी	1	संतोष इण्डस्ट्रीज	800	2010-11	2318.59	1518.590
	2	एस0एस0 ईट उद्योग	200	2010-11	397.115	197.115
	3	प्रयाग क्ले प्रोडक्ट्स, हरिहरपुर	800	2011-12	1944.215	1144.215
चन्दौली	4	जे0बी0 ईट भट्टा	1500	2010-11	1679.640	179.640
गाजीपुर	5	सरजू राय ईट भट्टा	600	2009-10	1280.910	680.910
		-तदैव-	600	2010-11	1138.220	538.220
	6	सिद्दीकी ईट भट्टा, रामपुर	200	2010-11	1120.480	920.480
	7	राय ईट भट्टा, करीमउद्दीमपुर, मुहम्दाबाद, गाजीपुर	600	2010-11	1435.855	835.855
जेपी नगर	8	त्रिदेव ईट भट्टा, वरानी वरहत	450	2010-11	1399.145	949.145
	9	रहमान ईट उद्योग, पयन्ती कला, अमरोहा	800	2011-12	929.125	129.125
		-तदैव-	800	2012-13	1443.615	643.615
	10	त्यागी ब्रिक वर्क, पेलीतागा, धनौरा	100	2013-14	861.070	761.070
	11	जयदीप ब्रिक वर्क्स, अमरोहा	400	2012-13	661.085	261.085
मुरादाबाद	12	अग्रवाल ईट उद्योग, अमरोहा	700	2012-13	1506.675	806.675
	13	जनता ब्रिक वर्क्स, कलसा रोड, गुरेता, पकबाड़ा	480	2009-10	575.330	95.330
		-तदैव-	480	2010-11	589.245	109.245
		-तदैव-	480	2011-12	719.090	239.090
	14	के 7 सी ब्रिक वर्क्स, सम्भल	480	2011-12	894.255	414.255
		-तदैव-	480	2012-13	572.080	92.080
	15	अल-मक्का ब्रिक फील्ड, मुजपफरनगर, सम्भल	500	2011-12	767.440	267.440
रामपुर	16	अयान ब्रिक वर्क, मिलक	600	2013-14	796.215	196.215
	17	फैजान ब्रिक वर्क, भगवन्त, बोराखास	1000	2012-13	1245.465	245.465
	18	फेमस ब्रिक वर्क्स, खरसोल, साहाबाद	600	2012-13	661.485	61.485
		-तदैव-	600	2013-14	664.025	64.025
	19	जापान ब्रिक वर्क्स, पंजाब नगर	600	2009-10	791.830	191.830
	20	खलील ब्रिक फील्ड, रौराकला, मिलक	1000	2012-13	1173.940	173.940
		योग	15850		27566.140	11716.14

( स्रोत : यूपीएसआईसी एवं डीआईसी द्वारा दी गयी सूचनाओं से संकलित)



## परिशिष्ट-2.42

(प्रस्तर 2.4.9 में सन्दर्भित)

वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक यूपीएसआईसी द्वारा वितरित कोयले के सापेक्ष सत्यापित वितरित कोयले को दर्शाती हुई विवरणी  
(मात्रा एमटी में)

क्र०सं०	डीआईसी का नाम	यूपीएसआईसी द्वारा उद्यमों को वितरित कोयले की मात्रा	डीआईसी द्वारा सत्यापित कोयले की मात्रा	डीआईसी द्वारा सत्यापित न की गयी कोयले की मात्रा	डीआईसी द्वारा सत्यापित कोयला मात्रा का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	उन्नाव	73250.600	2598.050	70652.550	3.55
2	गोण्डा	73872.250	56411.035	17461.215	76.36
3	फैजाबाद	119793.980	107431.815	12362.165	89.68
4	वाराणसी	205021.400	73995.017	131026.383	36.09
5	चन्दौली	127408.430	80428.870	46979.560	63.13
6	गाजीपुर	142200.095	115075.045	27125.050	80.92
7	मुरादाबाद	815831.985	716383.725	99448.260	87.81
8	अमरोहा	75294.030	48839.906	26454.124	64.87
9	रामपुर	60209.860	41076.335	19133.525	68.22
योग		1692882.63	1242239.798	450642.832	

(स्रोत : यूपीएसआईसी एवं डीआईसी द्वारा दी गयी सूचनाओं से संकलित)

परिशिष्ट-3.1

(प्रस्तर 3.2 में सन्दर्भित)

मेरठ विकास प्राधिकरण को हुई हानि को दर्शाती हुई विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	बेचे गये भूखण्ड के योजना का नाम	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी)	नीलामी का दिनांक	आवासीय भूमि की दर (प्रति वर्ग मी)		नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य (प्रति वर्ग मी)		नीलामी का मूल्य	आरक्षित मूल्य जो तय की जानी थी तथा नीलामी मूल्य के अन्तर	भूमि दर का पुर्ननिर्धारण न होने के कारण हानि	आबंटी का नाम
				प्राधिकरण द्वारा वास्तविक रूप से तय की गयी दर	जिलाधिकारी के सर्किल रेट के अनुसार प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली दर	प्राधिकरण द्वारा वास्तविक रूप से तय की गयी दर	प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली दर				
1	2	3	4	5	6	7	8=6*2	9	10=8-9	11=3*10	12
1	स्पोर्ट्स गुड्स काम्प्लेक्स (मेजर ध्यानचंद नगर)	617.78	8.8.2014	12,000	17,850	24,000	35,700	24,200	11,500	71,04,470	श्री कमल कुमार
2	श्रद्धापुरी-फेस 1 योजना	702.50	9.12.2014	13,500	18,000	27,000	36,000	31,011	4,989	35,04,773	श्री ललित कुमार एवं अन्य
3	रक्षापुरम योजना	200.00	30.12.2014	11,000	14,000	22,000	28,000	26,111	1,889	3,77,800	श्रीमती मंजुलता यादव
योग										1,09,87,043	

## परिशिष्ट-3.2

(प्रस्तर 3.3 में सन्दर्भित)

भुगतान में विफल आबंटियों को अनुचित लाभ पहुँचाने को दर्शाती हुई विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	दुकान सं०	आबंटी का नाम	वास्तविक आबंटित क्षेत्रफल (वर्ग मी में)	प्रारम्भिक आबंटित दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	प्रारम्भिक आबंटित दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि	वसूल किये गये पुनरीक्षित आबंटित दर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	वर्तमान लागत (₹ प्रति वर्ग मीटर)	वर्तमान लागत एवं वसूल किये गये लागत का अन्तर (₹ प्रति वर्ग मीटर)	अनुचित लाभ की धनराशि
1	2	3	4	5	6=5*0.10	7=5+6	8	9=8-7	10=4*9
1	जीएफ-2	हरिकेश यादव	17.494	19657	1966	21623	58960	37337	653173
2	जीएफ-3	जगदीश यादव	17.494	19657	1966	21623	58960	37337	653173
3	जीएफ-4	एम ए खान	17.95	19657	1966	21623	58960	37337	670199
4	जीएफ-5	विपिन कुमार सिंह	17.95	19657	1966	21623	58960	37337	670199
5	जीएफ-8	श्रीमती संगीता चौरसिया	17.95	19657	1966	21623	58960	37337	670199
6	जीएफ -12	श्रीमती पूजा श्रीवास्तव	18.112	19657	1966	21623	58960	37337	676248
7	जीएफ -13	अमित कुमार राय	17.829	19657	1966	21623	58960	37337	665681
8	जीएफ -14	संजय कुमार	17.546	19657	1966	21623	58960	37337	655115
9	जीएफ -16	रेनुका राय	16.187	19657	1966	21623	58960	37337	604374
10	जीएफ -17	रुना देवी	16.187	19657	1966	21623	58960	37337	604374
11	जीएफ -18	कमला ओझा	17.263	19657	1966	21623	58960	37337	644549
12	जीएफ -19	मनोज यादव	17.546	19657	1966	21623	58960	37337	655115
13	जीएफ -20	अंजु यादव	17.82	19657	1966	21623	58960	37337	665345
14	जीएफ -21	हरीश चन्द्र	18.112	19657	1966	21623	58960	37337	676248
15	जीएफ -23	नसीरुद्दीन अंसारी	14.897	19657	1966	21623	58960	37337	556209
16	जीएफ -24	इन्सपेक्टर सिंह	14.897	19657	1966	21623	58960	37337	556209
17	जीएफ -27	सुधा सिंह/जय सिंह	17.94	19657	1966	21623	58960	37337	669826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	जीएफ -28	क्रीति पाण्डेय	17.71	19657	1966	21623	58960	37337	661238
19	जीएफ -30	उमालाल	17.537	19657	1966	21623	58960	37337	654779
20	जीएफ -31	काशिफ मुमताज/विजय	17.53	19657	1966	21623	58960	37337	654518
21	जीएफ -32	राम दयाल यादव	11.285	19657	1966	21623	58960	37337	421348
22	जीएफ -33	मान सिंह	11.84	19657	1966	21623	58960	37337	442070
23	जीएफ -34	सत्य प्रकाश, धर्मवीर सिंह एवं श्रीप्रकाश	15.907	19657	1966	21623	58960	37337	593920
24	जीएफ -35	श्रीप्रकाश, सत्य प्रकाश एवं धर्मवीर सिंह	16.16	19657	1966	21623	58960	37337	603366
25	जीएफ -37	पंकज कुमार तिवारी	15.907	19657	1966	21623	58960	37337	593920
26	जीएफ -38	अब्दुल वाहिद आलम	19.21	19657	1966	21623	58960	37337	717244
27	जीएफ -39	पूरनमल	17.515	19657	1966	21623	58960	37337	653958
28	जीएफ -40	उमेश चन्द	17.515	19657	1966	21623	58960	37337	653958
29	जीएफ -41	ओम प्रकाश मौर्या	17.515	19657	1966	21623	58960	37337	653958
30	जीएफ -42	राजेन्द्र प्रसाद साहनी	18.362	19657	1966	21623	58960	37337	685582
31	जीएफ -43	स्वतन्त्र यादव	18.362	19657	1966	21623	58960	37337	685582
32	जीएफ -44	राम मनोहर	17.515	19657	1966	21623	58960	37337	653958
33	जीएफ -45	डॉ० अनीता शुक्ला	17.515	19657	1966	21623	58960	37337	653958
34	जीएफ -46	राजीव कुमार श्रीवास्तव	17.515	19657	1966	21623	58960	37337	653958
35	जीएफ -47	श्रीमती स्नेहलता तिवारी	19.21	19657	1966	21623	58960	37337	717244
36	जीएफ -49	मीना त्रिपाठी	16.665	19657	1966	21623	58960	37337	622221
37	जीएफ -50	जय बहादुर सिंह	21.1	19657	1966	21623	58960	37337	787811
38	जीएफ -51	श्री प्रकाश सिंह	16.412	19657	1966	21623	58960	37337	612775
39	जीएफ -52	विद्या देवी	16.412	19657	1966	21623	58960	37337	612775
40	जीएफ -53	लालजी गुप्ता	16.412	19657	1966	21623	58960	37337	612775
41	जीएफ -54	धर्मवीर सिंह	16.412	19657	1966	21623	58960	37337	612775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	जीएफ -55	सत्य प्रकाश सिंह	17.95	19657	1966	21623	58960	37337	670199
43	जीएफ -56	रत्नेश कुमार सरदार	16.65	19657	1966	21623	58960	37337	621661
44	जीएफ -57	ओम प्रकाश मौर्या	17.17	19657	1966	21623	58960	37337	641076
45	जीएफ -58	मारकण्डेय नायक	12.58	19657	1966	21623	58960	37337	469699
46	जीएफ -59	लक्ष्मी नारायन यादव	11.655	19657	1966	21623	58960	37337	435163
47	जीएफ -60	सुशीला सिंह	17.98	19657	1966	21623	58960	37337	671319
48	जीएफ -61	संध्या जैसवाल	17.98	19657	1966	21623	58960	37337	671319
49	जीएफ -62	हिटालर उपेन्द्र कुमार राना	18.85	19657	1966	21623	58960	37337	703802
योग									31046164

परिशिष्ट-3.3 (अ)  
(प्रस्तर 3.4 में सन्दर्भित)  
पट्टा किराये की हुई कम वसूली को दर्शाती हुई विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्र० सं०	पट्टे स्वामी का नाम	दिनांक जब से नवीनीकरण ड्यू है	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	नवीनीकरण के दिन प्रभावी जिला अधिकारी का सर्कल रेट (₹ प्रति हेक्टेयर)	नवीनीकरण के समय भूमि की प्रीमियम वैल्यू	पुनरीक्षित पट्टे का किराया जो वसूल किये जाने चाहिए थे (भूमि के प्रीमियम वैल्यू का 10 प्रतिशत)	वार्षिक आधार पर वास्तविक रूप से वसूली गये किराया (धनराशि ₹ में)	पट्टे किराया की कम वसूली	मई 2010 तक लम्बित नवीनीकरण के वर्ष	कुल कम वसूल किया गया पट्टा किराया
1	2	3	4	5	6=4*5	7 = 6 * 0.10	8	9=7-8	10	11 = 9 * 10
1	मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	25.06.03	9.71	7,11,662 <sup>‡</sup>	69,10,238	6,91,024	4,800	6,86,224	12	82,34,688
2	रेनु सागर पावर कम्पनी (मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड)	21.06.09	61.2348	18,00,000 <sup>§</sup>	11,02,22,640	1,10,22,264	4,53,943	1,05,68,321	6	6,34,09,926
योग										7,16,44,614

<sup>‡</sup> 01.04.2002 से 28.07.2003 तक शहरी क्षेत्र से सटे हुए विकासशील एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रभावी जिलाधिकारी के सर्कल दर पर। प्रति एकड़ दर ₹ 2,88,000 तथा प्रति हेक्टेयर = ₹ 2,88,000 x 2.47105= ₹ 711662

<sup>§</sup> चूँकि भूमि का प्रयोग औद्योगिक है, इसलिये सिनारौली के लिए जिलाधिकारी का औद्योगिक दर 20.01.2009 से 08.11.2009 तक प्रभावी है। औद्योगिक भूमि का दर ₹ 18,00,000 प्रति हेक्टेयर है।

परिशिष्ट-3.3 (ब)  
(प्रस्तर 3.4 में सन्दर्भित)

कम वसूल हुए पट्टे के किराये पर हुई ब्याज की हानि को दर्शाती हुई विवरणी

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड श्रमिक आवास हेतु		रेनु सागर पावर कम्पनी (मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड)		कुल कम वसूली	कुल कम वसूली पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज
	कम वसूल हुए पट्टे की राशि	संचित कम वसूली	कम वसूल हुए पट्टा किराये की राशि	संचित कम वसूली		
1	2	3	4	5	6 = 3 + 5	7 = 6 * 9 प्रतिशत
पहला	686224	686224	0	0	686224	61760
दूसरा	686224	1372448	0	0	1372448	123520
तीसरा	686224	2058672	0	0	2058672	185280
चौथा	686224	2744896	0	0	2744896	247041
पाँचवा	686224	3431120	0	0	3431120	308801
छठा	686224	4117344	0	0	4117344	370561
सातवां	686224	4803568	10568321	10568321	15371889	1383470
आठवां	686224	5489792	10568321	21136642	26626434	2396379
नौवां	686224	6176016	10568321	31704963	37880979	3409288
दसवां	686224	6862240	10568321	42273284	49135524	4422197
ग्याहरवां	686224	7548464	10568321	52841605	60390069	5435106
बारहवां	686224	8234688	10568321	63409926	71644614	6448015
योग						2,47,29,659